

मध्यप्रदेश विधान सभा

चुलाई-अगस्त, 1997 सत्र

के इनकार की विभिन्न कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 15 जुलाई, 1997 (आषाढ 24, 1919)

समय 10.30 बजे दिन

प्रश्नोत्तर 1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना

त्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, संसदीय कार्य मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार निष्ठालिखित अध्यादेशों को पटल पर रखेंगे:-

(1) मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन अध्यादेश, 1997 (क्रमांक 1 सन् 1997)

(2) महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1997 (क्रमांक 2 सन् 1997)

(3) मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर (संशोधन) अध्यादेश, 1997 (क्रमांक 3 सन् 1997)

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) त्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, सामान्य प्रशासन मंत्री, मध्यप्रदेश लोक आयुक एवं उप लोक आयुक अधिनियम, 1981 (क्रमांक 37 सन् 1981) की धारा 17 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-१-११-१५-१० दिनांक 9 मई, 1997 पटल पर रखेंगे।

(2) त्री धर्मेन्द्र सिंह, घोजना, आर्थिक एवं साइंसकी मंत्री, मध्यप्रदेश जिला घोजना समिति अधिनियम, 1995 (क्रमांक 19 सन् 1995) की धारा 11 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार घोजना, आर्थिक एवं साइंसकी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-१-११-१५-१०-८ दिनांक 4 मार्च, 1997 पटल पर रखेंगे।

(3) त्री बी.आर.यादव, कृषि मंत्री, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 (क्रमांक 20 सन् 1987) की धारा 42 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर की वैधानिक आडिट रिपोर्ट उत्तर एवं प्रबंध मंडल की टिप्पणी वर्ष 1993-94 (अनुभाग-1) तथा वर्ष 1994-95 (अनुभाग-1) पटल पर रखेंगे।

(4) त्री बी.आर.यादव, कृषि मंत्री, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 (क्रमांक 12 सन् 1963) की धारा 40 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर की वैधानिक आडिट रिपोर्ट वर्ष 1994-95 (संचालक स्थानीय निधि लेखा धारा प्रेषित प्रमुख आपत्तियों स्पष्टीकरण हेतु उत्तर एवं प्रमंडल की टिप्पणी) पटल पर रखेंगे।

(5) त्री जसवंत सिंह, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 15 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक ४-३-२१-७-विक-पांच (14) दिनांक 1 अप्रैल, 1997 पटल पर रखेंगे।

(6) त्री राजेन्द्र कुमार सिंह, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (अ) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम मर्यादित का 24 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 1989-90 पटल पर रखेंगे।

(7) त्री सत्यनारायण शर्मा, राज्य मंत्री, खनिज साधन, खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (क्रमांक 67 सन् 1957) की धारा 20 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार खनिज साधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 19-53-87-बारह-2 दिनांक 19 जून, 1997 पटल पर रखेंगे।

प्रधानमंत्री आर्किवाइस

- २ -

४. फरवरी-मार्च, १९९७ सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखा जाना।

५. नियम २८७-क के अधीन फरवरी-मार्च, १९९७ सत्र में पदी गई सुचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना।

६. राष्ट्रपति/राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विदेयकों की सूचना।

७. नियम १३८ (१) के अधीन ध्यान आकर्षण

(१) श्री धनश्याम पाटीलार, सदस्य, मन्दसीर जिले के जावद वन परिक्षेत्र अन्तर्गत भेड़ों द्वारा फसलों को सति पहुचाई जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(२) श्री लल्लू सिंह, सदस्य, शहडोल जिले के अमरकटक धर्पल पावर संयंत्र में प्रदूषण मापक घंते न होने से फैल रहे प्रदूषण की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

८. सभापति लालिका की ओचना

९. प्राक्कलन समिति में रिक एक स्थान की पूर्ति हेतु निर्वाचन

श्री अजय मुशरान, वित्स मंत्री, प्रस्ताव करेंगे:-

“सभा के सदस्याण, मध्यप्रदेश विधान सभा नियमावली के नियम २२३ के उपनियम (२) की अपेक्षानुसार वित्तीय वर्ष १९९७-९८ की शेष अवधि के लिये प्राक्कलन समिति में हुये रिक एक स्थान की पूर्ति के लिये अपने में से एक सदस्य के निर्वाचन के लिये अप्रसर हो।”

१०. जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की सभा (कोर्ट) के लिये राज्य विधान सभा के आठ सदस्यों का निर्वाचन

श्री रविन्द्र धौले, राज्यमंत्री, उच्च शिक्षा, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे:-

(१) “यह सभा उस रीति से जैसी अध्यक्ष महोदय निर्दिष्ट करें, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २२ सन् १९७३) की धारा २० की उपधारा (१) के पद (अठारह) की अपेक्षानुसार जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की सभा (कोर्ट) के लिये विधान सभा के सदस्यों में से आठ सदस्यों के निर्वाचन के लिये अप्रसर हो।”

११. शासकीय विधि विधेयक कार्य

(१) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, १९९७ (क्रमांक २१ सन् १९९७) के पुरास्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरास्थापित करेंगे।

(२) श्री बी. आर. धावल, कृषि मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य भूमि विकास निगम (संशोधन) विधेयक, १९९७ (क्रमांक २० सन् १९९७) का पुरास्थापन करेंगे।

१२. नियम १३८ के अधीन अविलम्बनीय सोक महत्व के विषय पर चर्चा समय

१ घन्टा शहडोल जिले स्थित ईस्टर्न कोलफील्ड की कालरियों द्वारा पानी का दुरुपयोग किये जाने से ग्रामों में पेयजल संकट-उत्पन्न होने के संबंध में श्री लल्लू सिंह, सदस्य चर्चा उठायी।

दिनांक : १४ जुलाई, १९९७
मध्यप्रदेश विधान सभा
प्राक्कलन समिति का विधेयक नियमावली के लिये अनुमति दिया गया।
भोपाल : के.पी.तिवारी
सचिव,
५-ठाना-४४-४४-१० क्रमांक नियमावली का भागी ताजा अप्राप्त ग्रन्थालय का लिये गया।